विद्युत मंत्रालय
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
सेवा भवन, रामाकृष्णापुरम नई दिल्ली-110066
(प्रशासन समन्वय अनुभाग)

फाईल सं0:30/15/2024- प्रशासन समन्वय/416

Dated: 25/11/2024

परिपत्र

विषय:- Celebration of Constitution Day on 26th November,2024 –reg.

उपरोक्त विषय के संबंध में विद्युत मंत्रालय से जारी ईमेल दिनांक 23 नवम्बर,2024 के साथ मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार के कार्यालय से जारी D.O. 701/2/2022-CA.III Dated: 22nd Novermber,2024 के संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण मुख्यालय स्थित द्वितीय तल के लैक्चर हॉल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन दिनांक: 26 नवम्बर,2024 को प्रात: 11:00 बजे किया जा रहा है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में अवश्य उपिस्थत होवें। कृप्या इसे अनिवार्य माना जाए।

संलग्न : उपरोक्त।

(अरूण अग्रवाल)
अवर सचिव (प्रशासन समन्वय)

प्रति :

1. PSO to Chairperson, CEA.
2. PPS to Member (Hy),(Th),(P.S.),(P),(E&C)
3. PPS to P.C.E. – I & II
4. P.S. to Secretary, CEA
5. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण
6. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सभी अधीनस्थ कार्यालयों (Subordinate Offices) के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण। इस संबंध में सूचना / रिर्पोट की प्रति **प्रशासन समन्वय अनुभाग** को अवश्यक उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। कृप्या इसे अनिवार्य माना जाए।

The Constitution of India

PREAMBLE

**WE, THE PEOPLE OF INDIA,
having solemnly resolved to constitute India into a
SOVEREIGN SOCIALIST
SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC
and to secure to all its citizens:**

©peacockride

**JUSTICE, social, economic and political;
LIBERTY of thought,
expression, belief, faith and worship;**

**EQUALITY of status and of opportunity;
and to promote among them all
FRATERNITY assuring the dignity of the
individual and the unity and
integrity of the Nation;**

**IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY
this twenty-sixth day of November, 1949, do
HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO
OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][**संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य**] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और [2][राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई0 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।**

---

[1] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) **"प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य"** के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।